

आदेश-
क्रम-संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

05/12/2020

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

F.S.S.A. Case No. 10/2019-20

सरकार बनाम अनिल कुमार

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अभिहित पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-14/खाद्य, दिनांक-20.02.2020 के आलोक में दायर है।

दिनांक-30.07.2019 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा अनिल कुमार, चंचला भण्डार, दुमका रोड, जिला-जामताड़ा के दुकान से Pasteurised Standard Milk (Daily Plus) 500ml का चार पैकेट एक गवाह के समक्ष खरीदा गया एवं इसे साफ सुखी शीशी/डब्बा में बंद कर के शील मोहर लगा दिया गया। नमूना को JMT/022/2019-20 अंकित किया गया। इसकी सूचना प्रपत्र-V(A) में निर्गत कर सोनु कुमार वास्ते अनिल कुमार को तामिला किया गया। उक्त नमूना का विश्लेषण हेतु Food Analyst State Food Testing Laboratory Namkum, Ranchi भेजा गया। Food Analyst, State Food Testing Laboratory, Namkum, Ranchi में Pasteurised Standard Milk (Daily Plus) के नमूना का दिनांक-05.08.2019 से 09.08.2019 तक जाँच किया गया। राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला नामकुम, राँची के खाद्य विश्लेषक द्वारा दिये गये Report No. CM:336/FSSAI/2019 दिनांक-09.08.2020 के अनुसार नमूना में दूध वसा एवं दूध वसा रहित ठोस, VEM insect Fungus क्रमाशः 3.2%, 8.5% एवं Negative पाया गया जबकि Prescribed Standard as per provision of FSS Act. Rules And Regulation के अनुसार इस तत्व का मानक मात्रा क्रमाशः NLT 4.5%, NLT 8.5% एवं Absent है। Milk fat, Milk Solid not fat एवं VEM insect Fungus की प्रतिशत मात्रा में अंतर पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा-3(1) (ZX) के तहत उक्त नमूने को Substandard प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अभिहित पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-14/खाद्य, दिनांक-20.02.2020 के द्वारा खाद्य विश्लेषक झारखण्ड, राँची के पत्रांक-336/FSSAI/2019 दिनांक-09.08.2019 द्वारा उक्त नमूने को Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-3(1) (ZX) के तहत Substandard करार देते हुए धारा-51 के तहत न्यायिक निर्णयन हेतु समर्पित किया गया।

इस वाद में विपक्षी/कारबारकर्ता को कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु सूचना का तामिला किया गया। विपक्षी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि विपक्षी एक छोटा सा दुकान करता है। यह दूध का पैकेट का मेरे द्वारा उत्पाद नहीं किया जाता है मेरे द्वारा उक्त दूध के पैकेट Local Agent से खरीदा जाता है। विपक्षी द्वारा क्षमायाचना करते हुए दण्डित नहीं करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। नमूना का संग्रह एवं विश्लेषण हेतु अपनाये गये विधि एवं प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संगत धाराओं के अंतर्गत है।

विपक्षी/कारबारकर्ता के द्वारा विक्रय किये गये दूध के पैकेट के नमूना में पाये गये पदार्थ की मात्रा एवं मानक मात्रा में भिन्नता पाया गया। इस प्रकार विपक्षी/कारबारकर्ता द्वारा Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-3(1) (ZX) का उल्लंघन किया गया।

अतः विपक्षी/कारबारकर्ता अनिल कुमार, चंचला भण्डार, दुमका रोड, जिला-जामताड़ा को Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-3(1) (ZX) के तहत दोषी पाये जाने के आरोप में Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-51 के तहत 100/- (एक सौ) रुपये मात्र का जुर्माना के रूप में दण्डित किया जाता है एवं कारबारकर्ता को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें।

लेखपित एवं संशोधित।

उपायुक्त
जामताड़ा

उपायुक्त
जामताड़ा

Jeenu
D. D. D.
22/12/2020

DB-53
22/12/20